

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :-सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि०न०:-26 / 2026

1. अमरजीत कौर पत्नी बगड़सिह
2. गुरविन्द्र कौर पत्नी गुरजीत सिह
3. नवजोत कौर पत्नी सुखमन्दर सिह
4. सुखदीप कौर पत्नी सुखजीत सिह

जाति जटसिख निवासीयान टिब्बी
तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।



वादीयागण

बनाम्

- 1 बलविन्द्र सिह पुत्र सुखदेवसिह जाति जटसिख निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादी

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री महावीर वर्मा व प्रतिवादी वकील करनैल सिंह अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है:- चक 6 जीजीआर के खाता सं० 345/91 में अंकित कुली 1.012 है० आराजी मे से प०न० 206/284 मु० 30 किलानं० 14, 15 कुल 0.506 है० आराजी की वादीयागण ब०हि०ब० के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है व चक नं० 6 जीजीआर के खाता सं० सं० 345/91 मे से प्रतिवादी बलजिन्द्र सिह का हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एवं जमाबंदी में गै०मु० रकबे को यथावत रखते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 17/2/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।